न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

विविध वाद संख्या 41/2025

मैसर्स एम्री फारमास्यूटिकल्स बनाम श्री एंटरप्राइजेज और अन्य

दिनांकः 08-08-2025

वाद पुकारा गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हैं।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 14क

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 14क आवेदक द्वारा शपथपत्र कागज संख्या 15ग के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मैंने उक्त प्रार्थना पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदक उक्त प्रार्थना पत्र की धारा-11 की पहली पंक्ति में आये शब्द "शून्य घोषित" को काटकर उसके स्थान पर शब्द "खंडित" एवं धारा -12 की उपधारा (अ) की द्वितीय पंक्ति में आये शब्द "शून्य एवं अवैध घोषित" को काटकर उसके स्थान पर शब्द "खंडित" अंकित करना चाहता है। अतः वर्तमान मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र कागज संख्या 14क स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र कागज संख्या 14क स्वीकार किया जाता है। आवेदक प्रार्थना पत्र कागज संख्या 14क के प्रकाश में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में आवश्यक संशोधन एक सप्ताह के अन्दर करे। पत्रावली दिनांक 28-08-2025 को आपत्ति कागज संख्या 12ग के निस्तारण हेतु पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1,
मेरठ।

Digitally signed by SATYA NAND UPADHYAY
Date: 2025.08.08 16:41:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court